–: वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार (संविदा) की तैनाती हेतु विज्ञप्तिः–

संविदा के आधार पर उत्तर प्रदेश जल निगम में वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत 01 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ 06 लेखाधिकारी/10 लेखाकार की तैनाती वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इक्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक, अपना बायोडाटा एवं सेवा–विवरण आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर भरकर विलम्बतम् निर्धारित तिथि– 29.12.2018 तक प्रधान कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ स्थित कार्यालय अध्यक्ष (कैम्प), उ0 प्र0 जल निगम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त से सम्बन्धित आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप तैनाती हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता, सेवा शर्ते एवं अन्य महत्वपूर्ण विस्तृत सूचनाएँ, उ0 प्र0 जल निगम की वेबसाइट www.upjn.org पर उपलब्ध है।

जनसम्पर्कअधिकारी
उ0 प्र0 जल निगम
लखनऊ

–: अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं :–

संविदा के आधार पर उ०प्र० जल निगम में वित्त एवं लेखा संवर्ग के अंतर्गत वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार के पदों पर तैनाती हेतु निर्धारित मानदेय एवं अर्हता का विवरणः–

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय (रू० प्रति माह)	अर्हता
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	45,000.00	ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, राज्य या केन्द्रीय अथवा उनके आधीन संचालित या नियंत्रित निगमों/अभिकरणों/स्वाय निकायों या राष्ट्रीयकृत बैंकों में वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा समकक्ष सेवानिवृत्त हो।
2	लेखाधिकारी	06	35,000.00	ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश राज्य, या केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित नि राष्ट्रीयकृत बैंकों में लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हो।
3	लेखाकार	10	25,000.00	ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, राज्य या केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित नि राष्ट्रीयकृत बैंकों में लेखाकार के पद से सेवानिवृत्त हो।

(1) संविदा के आधार पर उपरोक्त वर्णित पदों की सेवाओं हेतु उपरोक्तानुसार स्तम्भ–04 में निर्धारित नियत मानदेय प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। उक्त के अतिरिक्त वाहन, आवास इत्यादि की अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(2) संविदा के आधार पर वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के पदों पर तैनात कार्मिकों को उत्तर प्रदेश जल निगम कार्य हेतु की गयी यात्रा के सम्बन्ध में वे ही नियम लागू होंगे, जो उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों के लिए अनुमन्य है। तथा लेखाकार के पद पर तैनात कार्मिकों द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य हेतु की गयी यात्रा के सम्बन्ध में वे ही नियम लागू होंगे, जो उत्तर प्रदेश जल निगम के तृतीय श्रेणी के कार्मिकों के लिए अनुमन्य है।

(3) उपरोक्त पदों हेतु आवेदक की आयु दिनाँक 01.07.2018 को 65 वर्ष से अधिक न हो।

(4) उपरोक्त वर्णित पदों पर चयनित कार्मिको की तैनाती अधिकतम एक वर्ष या उक्त रिक्त पदो के सापेक्ष नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने (जो भी पहले हो) तक के लिये होगी। वर्णित पदों पर उ०प्र० जल निगम में प्रोन्नति/नियमित चयन होने के फलस्वरूप संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम द्वारा उपरोक्त वर्णित पदों पर संविदा के आधार पर योजित कार्मिकों को किसी भी समय हटाया जा सकेगा एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(5) संविदा पर कार्यरत किसी भी कार्मिक को किसी भी पद की नियमित नियुक्ति का धारणाधिकार नही होगा और न ही उ०प्र० जल निगम की सेवा में विनियमितीकरण के लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(6) वर्णित पदों पर प्रतिमाह निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिकर इत्यादि सुविधा अनुमन्य नही होगी।

(7) आवेदन पत्र प्रत्येक दशा में विलम्बतम् दिनांक 29.12.2018 तक प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ स्थित अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम के कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

(3) प्रमाण पत्र का प्रारूप
(सेवानिवृत्त कार्यालय, जहाँ से कार्मिक सेवानिवृत्त हुये हों)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र.. ....निवासी...,जो विभाग से दिनांक...................................... को.............................. .... के पद से सेवानिवृत्त हुए है, के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित नही है और न ही कभी इनके विरूद्ध कोई विभागीय वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध हुआ है।

श्री ....की सेवानिवृत्ति दिनांक .... तक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

(मोहर)